डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102]   रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2001—ज्येष्ठ 2, शक 1923

विधि विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक 1151/21-अ (प्रा.) 2001.—छत्तीसगढ़ ग्राम न्यायालय की धारा 1 की उप धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना, 2000 क्रमांक डी/276/2000/प्रारूपण/विधि, दिनांक 11 दिसम्बर, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

(एक) अधिसूचना क्रमांक डी/276/2000/प्रारूपण/विधि, दिनांक 11 दिसम्बर, 2000 में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी वह आया हो, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए; और

(दो) उक्त अधिसूचना में शब्द "सम्पूर्ण" के स्थान पर शब्द "गैर अनुसूचित क्षेत्र" स्थापित किया जाएं"

Raipur, the 14th March 2001

NOTIFICATION

No. 1151/21-A (P) 2001.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh

Gram Nyayalaya Adhiniyam, 2000 the State Government hereby in the Notification No. D/276/2000/ Praroopan/Vidhi, dated 11th December, 2000 following amendments shall be made, namely :—

(i) in the Notification No. D/276/2000/ Praroopan/Vidhi, dated 11th December, 2000 for the word "Madhya Pradesh" wherever it occurs the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

(ii) in the aforesaid notification for the word "Whole" the words "Non Schedeule Area" shall be substituted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.